न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/332

नन्दलाल पुत्र श्री किशन गोपाल जी ब्राह्मण निवासी करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांकः 28.07.2020

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हीरापुर तहसील नैनवा जिला बून्दी में वादी की गैर खातेदारी में खसरा नम्बर 245 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादी पिछले 20 वर्षों से निरन्तर गैर खातेदार के रूप में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादी को उक्त भूमि पर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी को वादी को खातेदार घोषित किया जावे । राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम का गैर खातेदारी का इन्द्राज दुरूस्त कर खातेदारी का इन्द्राज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी पर वादी अपीलान्ट का कब्जा नहीं मानने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील के जवाब मात्र के आधार पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं माना है जबकि अपीलान्ट ने इस सम्बन्ध में शपथ पत्र पेश किया था जिसका खण्डन नहीं किया है। वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में रिकॉर्ड पेश कर दिया था कि उक्त भूमि गत 40 वर्षों से अपीलान्ट के पिता के गैर खातेदारी में दर्ज थी । अपीलान्ट के पिता के स्वर्गवास होने पर अपीलान्ट की गैर खातेदारी में दर्ज की गई । अपीलान्ट खातेदार कृषक की सभी अर्हताओं की पूर्ति करता है, लगान जमा कर रहा है जिससे वह उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । पत्रावली जवाब में लम्बित थी इसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.07.2017 दी गई थी और इससे पूर्व ही इसको लोक अदादल में रखा गया । लोक अदालत की वादी को कोई सूचना नहीं दी गई और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई, अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है । तहसीलदार के द्वारा जो जवाब अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब सरकार में लम्बित थी और इसमें दिनांक 05.07.2017 की तारीख दी गई थी और इससे पूर्व ही दिनांक 18.05.2017 को इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी उपस्थित नहीं हुए हैं और पत्रावली पर भी ऐसा कोई नोटिस संलग्न नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि लोक अदालत

की कोई तामील वादी पर की गई हो । वादी की अनुपस्थिति में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है ।

10. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । इस दृष्टि से हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.08.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 28.07.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/7/20

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा